लोकतंत्र और चुनाव : बार-बार होने वाले चुनावों की लागत

लोकतंत्र का अर्थ है *जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए* शासन, जिसमें नागरिकों को **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों** के माध्यम से **अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार** प्राप्त होता है। निर्वाचित होने के बाद सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह **सुशासन** बनाए रखे, **पारदर्शिता** सुनिश्चित करे और **जन-कल्याण** के लिए कार्य करे।

- **कोफ़ी अन्नान** के अनुसार, *"चुनाव लोकतंत्र का हृदय हैं, और जब ये सत्यनिष्ठा के साथ कराए जाते हैं, तो नागरिकों को यह तय करने में आवाज़ मिलती है कि उन पर किस प्रकार और किसके द्वारा शासन किया जाए।"*

- **चुनाव लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला** और **राजनीतिक स्थिरता** के स्तंभ हैं, क्योंकि ये सरकार को **वैध लोकतांत्रिक जनादेश** प्रदान करते हैं तथा सत्ताधारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन द्वारा **नागरिक जवाबदेही** को संभव बनाते हैं।

लोकतंत्र के लिए चुनावों का महत्व

- **जन-भागीदारी और राजनीतिक सशक्तीकरण**
  - → चुनाव नागरिकों को **शासन में प्रत्यक्ष आवाज़** देकर सशक्त बनाते हैं।
  - → **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** के माध्यम से प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से परे ऐसे नेताओं को चुन सकता है जो उसकी आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हों।

- **जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता (Responsiveness)**
  - → **आवधिक चुनाव** सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।
  - → पुनः निर्वाचित होने के लिए नेताओं को **वादे पूरे करने** होते हैं और शिकायतों का समाधान करना होता है।
  - → इससे **मनमानी** पर अंकुश लगता है और **अधिनायकवाद** रुकता है।

- **विविध हितों का प्रतिनिधित्व**
  - → एक **बहुलवादी समाज** में चुनाव **क्षेत्रीय, भाषाई, नृजातीय** और **वैचारिक समूहों** का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं।
  - → यह हाशियाकरण को रोकता है और **समावेशी शासन** सुनिश्चित करता है।

- **संघर्ष-समाधान और राजनीतिक स्थिरता**
  - → चुनाव सत्ता के हस्तांतरण हेतु एक **शांतिपूर्ण, संवैधानिक तंत्र** प्रदान करते हैं।
  - → ये लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से **नीतिगत और वैचारिक संघर्षों** का प्रबंधन करते हैं, जिससे अशांति की संभावना घटती है।

- **लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण**
  - → नियमित चुनाव **निर्वाचन आयोग**, **न्यायपालिका** और **मीडिया** जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करते हैं।
  - → इससे **नियंत्रण और संतुलन (checks and balances)** बना रहता है तथा **सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढाँचे** को बढ़ावा मिलता है।

- **नागरिक सहभागिता और राजनीतिक जागरूकता**
  - → चुनाव सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करते हैं और **राष्ट्रीय एवं स्थानीय मुद्दों** के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं।
  - → ये **सक्रिय नागरिकता** और **नीति-निर्माण में भागीदारी** को बढ़ावा देते हैं।

- **अधिकारों का संरक्षण और विधि का शासन**
  - → निर्वाचित सरकारें **संवैधानिक मूल्यों** और **विधि के शासन** से बँधी होती हैं।
  - → स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव **नागरिक स्वतंत्रताओं** और **मानवाधिकारों** की रक्षा करते हैं।

- **आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग**
  - → नागरिक विकासोन्मुख नीतियों का चयन कर सकते हैं।
  - → **अकर्मण्य (non-performing) सरकारों** को मतदान द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे **कल्याण, समता और संवृद्धि** पर ध्यान केंद्रित रहता है।

भारत में बार-बार होने वाले चुनाव : चुनौतियाँ और आवश्यकता

- **चुनावी प्रतिस्पर्धा का स्वरूप**
  - → भारत में चुनाव प्रायः **सरकार के पिछले प्रदर्शन** और घोषणापत्रों में उल्लिखित **भावी वादों** के आधार पर लड़े जाते हैं।
  - → आदर्श रूप से, **पाँच वर्ष** में एक बार होने वाले चुनाव राजनीतिक निरंतरता और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

- **निश्चित चुनावों से बार-बार चुनावों की ओर बदलाव**
  - → **खंडित जनादेश**, **गठबंधन राजनीति** और **क्षेत्रीय दलों** के उदय के कारण भारत धीरे-धीरे **बार-बार चुनावों** के प्रतिरूप की ओर बढ़ गया है।
  - → इसके परिणामस्वरूप **पाँच-वर्षीय चक्र** पर आधारित लोकतंत्र के स्थान पर **"बार-बार चुनावों वाला लोकतंत्र"** उभरा है।

- **बार-बार चुनावों को दर्शाने वाले उदाहरण**
  - → **लोकसभा चुनाव**: यद्यपि ये प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित हैं, फिर भी **1971, 1980, 1984, 1991, 1998** और **1999** में समय-पूर्व विघटन हुए।
  - → **राज्य विधानसभा चुनाव**:
    - ➢ उदाहरण: अस्थिरता के कारण **उत्तर प्रदेश** में **1985–1996 के बीच 5 चुनाव** हुए।
    - ➢ त्रिशंकु विधानसभा के कारण **बिहार** में **केवल 2005 में ही दो चुनाव** हुए।

- **बार-बार उपचुनाव (By-polls)**
  - → उपचुनाव तब होते हैं जब **त्यागपत्र, मृत्यु या निरर्हता** के कारण सीटें रिक्त हो जाती हैं।
  - → उदाहरण: **दल-बदल** और राजनीतिक उथल-पुथल से उत्पन्न **2023 के कर्नाटक उपचुनाव**।

- **राज्यसभा चुनाव**
  - → ये **प्रत्येक 2 वर्ष** में **क्रमिक (staggered) रूप** से होते हैं, जिसमें एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
  - → इससे समग्र चुनावी आवृत्ति और बढ़ जाती है।

- **स्थानीय निकाय चुनाव**
  - → **नगरपालिका और पंचायत चुनाव** प्रत्येक **5 वर्ष** में होते हैं, किंतु **विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय** पर कराए जाते हैं, जिससे चुनावी कैलेंडर और भी भर जाता है।

बार-बार होने वाले चुनावों के प्रतिकूल प्रभाव

1. सुशासन के लिए ख़तरा

- बार-बार चुनाव शासन और नीति-निर्माण की निरंतरता को बाधित करते हैं।
- राजनीतिक निर्णय प्रायः **दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित** के बजाय **चुनावी लाभ** से निर्देशित होते हैं।
- ध्यान **विकासात्मक नीतियों** से हटकर लोकलुभावन वादों पर चला जाता है।

2. वित्तीय और प्रशासनिक बोझ

- भारी **प्रचार व्यय** से **बड़े दानदाताओं** पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे भ्रष्टाचार की चिंताएँ उठती हैं।
- बार-बार के चुनाव **सार्वजनिक वित्त पर दबाव** डालते हैं और नागरिक एवं पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं।
- **सुरक्षा कर्मियों** को बार-बार नियमित कर्तव्यों से हटाया जाता है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है।

3. राजनीतिक और सामाजिक परिणाम

- **वोट-बैंक राजनीति** और **पहचान-आधारित ध्रुवीकरण** में वृद्धि।
- बाहुबल और धनबल का प्रभुत्व बढ़ता है, जिससे लोकतांत्रिक नैतिकता कमज़ोर होती है।
- बढ़ती **सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency)**, क्योंकि मतदाताओं को सेवा-प्रदायगी कमज़ोर और वादे अधूरे लगते हैं।

4. मतदान प्रतिशत में गिरावट

- बार-बार चुनावों के कारण, विशेषकर शहरी, युवा और कम मतदान-प्रवृत्ति वाले मतदाताओं में, **मतदाता थकान (voter fatigue)** उत्पन्न होती है।
- इससे **नागरिक सहभागिता घटती** है और जनादेश की वैधता पर प्रश्न उठते हैं।

5. नीतिगत पक्षाघात और विदेश संबंध

- **गठबंधन के दबाव** नीतिगत अस्थिरता और अनिर्णय का कारण बनते हैं।
- मंत्रिमंडलीय निर्णय **संकीर्ण दलीय हितों** से प्रभावित होते हैं।

- **विदेश नीति प्रभावित होती है**, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को सीमित करती है।
- इससे **बाहरी हस्तक्षेप** का मार्ग खुलता है और भारत की कूटनीतिक क्षमता (leverage) घटती है।

6. आर्थिक व्यवधान

- निवेशकों और उद्योगों को **अनिश्चितता** का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रमुख आर्थिक निर्णयों में देरी होती है।
- बार-बार चुनाव **क्रेडिट रेटिंग**, विदेशी निवेश और **आर्थिक नियोजन** को प्रभावित करते हैं।
- नीतिगत असंगति दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों और कार्यक्रमों में बाधा डालती है।

7. कल्याण और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव

- शिक्षकों और अधिकारियों को नियमित कर्तव्यों से हटाकर **चुनाव कार्य** में लगाया जाता है, जिससे **शिक्षा और स्वास्थ्य** जैसी सेवाएँ प्रभावित होती हैं।
- **आदर्श आचार संहिता (MCC)** चालू विकास परियोजनाओं को रोक देती है, जिससे विलंब और लागत-वृद्धि होती है।
- लगातार चुनावी व्यवधानों के कारण कल्याणकारी योजनाओं की गति धीमी पड़ जाती है।

8. सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन पर दबाव

- बार-बार की तैनाती **पुलिस और अर्धसैनिक बलों** को थका देती है।
- इससे **थकान, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ** उत्पन्न होती हैं और विशेषकर संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान कम होता है।

निष्कर्ष

बार-बार होने वाले चुनाव, संवैधानिक रूप से वैध होते हुए भी, **शासन, विकास और राष्ट्रीय एकजुटता में बाधा** डालते हैं। **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** जैसा संभावित सुधार इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान कर सकता है।
